(1)

प्रकरण संख्या : 17/2022
रामप्यारी बनाम प्रभूलाल वगै.
निर्णय दिनांक : 19.01.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गौरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 17/2022
दायर दिनांक : 24.02.2022
निर्णय दिनांक : 19.01.2023

उनवान

1. रामप्यारी पत्नी नाथूलाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

वादी

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र सुवालाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
2. शम्भूलाल पुत्र सुवालाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा (फौत)
   - 2/1. मुकेश पुत्र शम्भूलाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
   - 2/2. रमेश पुत्र शम्भूलाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
   - 2/3. पवन पुत्र शम्भूलाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
   - 2/4. विजेन्द्र पुत्र शम्भूलाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
   - 2/5. रेवडी पत्नी शम्भूलाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
   - 2/6. भागोती पत्नी बत्तीलाल पुत्री शम्भूलाल जाति माली, निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा
3. जगदीश प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति माली, निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता : श्री सुखेन्द्र सिंह चौहान (अधिवक्ता वादी)
श्री बृजमोहन गौड़ (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

–: निर्णय :–

वादी द्वारा दिनांक 23.10.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (जिला दौसा) के समक्ष यह वाद पत्र बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(8)

तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है, जिसके वादिनी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं रामकूरी पत्नी सुवालाल सहखातेदार हैं। वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 50/53 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व रामकूरी पत्नी सुवालाल 3/53 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है किन्तु वादिनी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर अपने उपरोक्तानुसार हिस्सानुसार मनबंट से विभाजन कर रखा है। तदनुसार वादिनी अपने हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादीगण का वादिनी के हिस्से के भू–भाग से कोई सरोकार वास्ता नहीं है किन्तु वे हर बार काश्त के समय वादिनी के हिस्से के भू–भाग को दबाकर अतिक्रमण करने हेतु आमाद रहते हैं। दिनांक 15.10.2019 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 एवं रामकूरी पत्नी सुवालाल वादग्रस्त आराजी पर वादिनी के हिस्से भू–भाग पर आ गये तथा वादिनी से कहा कि हम तुम्हारी भूमि पर काश्त करेंगे। इस पर वादिनी व उसके परिवारजन द्वारा प्रतिरोध करने पर वे वादिनी व उसके परिवारजन से लडाई झगडे करने पर आमाद हो गये परन्तु वहाँ उपस्थित लोगों ने उन्हें समझाकर भेज दिया। वे जाते समय धमकी देकर गये कि अब आगे हम तुम्हारे हिस्से के भू–भाग पर जबरन कब्जा करेंगे। इस धमकी से वाद कारण उत्पन्न होकर वादिनी को अपने हकूक की रक्षार्थ यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना पडा। वादिनी कानूनन मुश्तहक है कि वह वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाये। तद्नुसार लगान का अलग–अलग निर्धारण करवा कर राजस्व अभिलेख माल नक्शा ट्रेस इत्यादि में इन्द्राजात करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश फरमावें। वादिनी कानूनन मुश्तहक है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व रामकूरी पत्नी सुवालाल वादग्रस्त आराजी पर वादिनी के हिस्से के भू–भाग पर जबरन कब्जा करने से, उस पर वादिनी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने से सदैव प्रतिबन्धित रहे। वाद विभाजन बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर का सादिर डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मुताबिक कब्जा करवाये तथा तद्नुसार लगान का अलग–अलग निर्धारण करवाकर राजस्व अभिलेख माल नक्शा ट्रेस इत्यादि में इन्द्राजात करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को आदेश फरमाया जावे। यह कि वाद स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर का सादिर डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं रामकूरी पत्नी सुवालाल वादग्रस्त आराजी पर वादिनी के हिस्से के भू–भाग पर जबरन कब्जा करने से, उस पर वादिनी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने से सदैव प्रतिबन्धित रहें।

प्रकरण श्रीमान् अति॰ जिला कलक्टर दौसा के निर्णय प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण किस्म मुकदमा दिनांक 28.01.2022 की छायाप्रति सहित दिनांक 24.02.2022 को न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ। निर्णय में उभय पक्षकारान को न्यायालय हाजा में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। अतः प्रकरण न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की तलबी की गयी। उनवानी प्रकरण में पूर्व में पक्षकार रहे प्रतिवादी रामकूरी पत्नी सुवालाल जाति माली की मृत्यु हो जाने एवं उसके वारिस पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण वकील वादी द्वारा प्रस्तुत रामकूरी पत्नी सुवालाल जाति माली

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(9)

का नाम हज्फ करने का प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी की सहमति से स्वीकार किया गया एवं प्रकरण में तनकीयात कायम की गयीं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को नामंजूर करते हुए एक प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2121, खसरा नम्बर 2125, खसरा नम्बर 2131, खसरा नम्बर 2132, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2158 किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा के अतिरिक्त आराजी खसरा नम्बर 1553 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से खसरा नम्बर 1553 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का हिस्सा 50/53 यानी 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादिनी को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2010 को विक्रय की थी जिसका नामान्तकरण संख्या 3341 दिनांक 25.02.2010 वादिनी के पक्ष में हो गया। वादिनी ने उक्त भूमि को धर्मपालसिंह राजपूत को दिनांक 06.04.2010 को उक्त क्रेता ने जरिए पंजीकृत बेचान पत्र विक्रय कर दी। क्रेता ने अपने नाम क्रय भूमि का नामान्तकरण तारीख 04.06.2010 को स्वीकार हो गया। क्रेता धर्मपाल ने प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण (उप जिला कलेक्टर लालसोट) में आवेदन कर भूमि आबादी में अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सम्परिवर्तित करवा ली उसके आधार पर नामान्तकरण नगरपालिका लालसोट नामान्तकरण संख्या 4041 नगरपालिका के पक्ष में तस्दीक हो गया। यानी खसरा नम्बर 1553, 1554 दोनों खसरा नम्बरान की खातेदारी कृषि भूमि में शेष नहीं रही। खसरा नम्बर 1553 के रकबा 3 बिस्वा की खातेदारी धर्मपालसिंह के नाम व खसरा नम्बर 1554 रकबा 3 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम है। वादिनी के नाम प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का कोई भू-भाग शेष नहीं है। सम्वत् 2068 लगायत 2071 की जमाबन्दी बनाते समय वादिनी ने पटवारी हल्का से षड्यंत्र कर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में अपना हिस्सा 50/53 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/53 अंकित करवा दिया। जबकि वादग्रस्त आराजी का हिस्सा 50/53 प्रतिवादीगण ने वादिनी को विक्रय नहीं किया था। मात्र खसरा नम्बर 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का हिस्सा 50/53 दिनांक 28.01.2010 को विक्रय किया था, जिसे वादिनी द्वारा तारीख 06.04.2010 को धर्मपालसिंह को विक्रय कर दिया। इस प्रकार वादिनी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 50/53 के अंकन बहैसियत सहखातेदार अनाधिकृत एवं अवैध अंकित है, जो विलोपनीय है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण ने जमाबन्दी सम्वत् 2068 लगायत 2071 में किये गये गलत अंकन के विरुद्ध न्यायालय मान्य में वाद दुरुस्ती अंकन राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट को पक्षकार बनाकर दिनांक 09.10.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार लालसोट ने प्रतिवादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर दिनांक 23.12.2019 को वादिनी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में वादिनी का हिस्सा 50/53 के अंकन को जमाबन्दी में भूलवश अंकित होना स्वीकार किया। प्रतिवादी शम्भूलाल द्वारा तहसीलदार लालसोट के समक्ष दिनांक 20.08.2019 को जमाबन्दी सम्वत् 2068 लगायत 2071 में किये गये अशुद्ध अंकन को शुद्ध करने हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का से प्रतिवेदन चाहा। पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2019 में पटवारी हल्का द्वारा आराजी में वादिनी का नाम 50/53 के रूप में अंकित होने के तथ्य गलत होना सहवन अंकित होना लिखा है तथा वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर अभिलेख अंकन शुद्ध किये जाने का प्रतिवेदन अंकन किया है। तहसीलदार द्वारा अभिलेख में हुए अवैध अंकन की शुद्धि हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादी शम्भू को आदेशित कर अपने अधिकार क्षेत्र का सम्यक उपयोग नहीं किया। प्रतिवादीगण इस आशय की उद्घोषणा प्राप्त करने के

उपखण्ड अधिकारी
... (र

अधिकारी हैं कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2121, खसरा नम्बर 2125, खसरा नम्बर 2131, खसरा नम्बर 2132, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा के पृथकशः खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं। वादिनी का नाम उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2068 लगायत 2071 में पटवारी हल्का द्वारा 50/53 के हिस्सेदार के रूप में अनाधिकृत व अवैध रूप से अंकित किया गया है, जो विलोपनीय है। प्रतिवादीगण वादिनी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने को अधिकृत हैं कि वादिनी जमाबन्दी में अपने नाम के अशुद्ध अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने, प्रतिवादीगण को बलपूर्वक निष्काषित करने, भूमि की प्राकृतिक पैदावार पेड–पौधों को क्षति कारित करने या भूमि का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के पक्ष में हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित या पंजीकृत करने से प्रतिबन्धित रहें। प्रतिवादपत्र प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 स्वीकार फरमाकर आराजी खसरा नम्बर 2121, खसरा नम्बर 2125, खसरा नम्बर 2131, खसरा नम्बर 2132, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा के प्रतिवादीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावे। वादिनी का नाम उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी में जमाबन्दी सम्वत् 2068 लगायत 2071 में पटवारी द्वारा अनाधिकृत व अवैध रूप से अंकित किये गये थे उन्हें विलोपित फरमाया जावे। प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध वादिनी आराजी खसरा नम्बर 2121, खसरा नम्बर 2125, खसरा नम्बर 2131, खसरा नम्बर 2132, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा के किसी खसरा नम्बर या किसी भू–भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने, उक्त भूमि पर स्थित प्राकृतिक पैदावार को क्षति कारित करने से स्वयं, अपने परिवारजन सेवकों साथियों प्रतिबन्धित रहे। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से किसी भी खसरा नम्बर या समस्त खसरा नम्बर की भूमि का हस्तान्तरण प्रलेख किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में निष्पादित अथवा पंजीकृत नहीं करावें। एचडीएफसी बैंक शाखा लालसोट से प्राप्त ऋण का स्वयं भुगतान करें।

प्रकरण में दिनांक 12.12.2022 को वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत् मिसल तलबी पेश किया गया। अतः पत्रावली निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 19.01.2023 से तलब की जाकर दिनांक 12.12.2022 को न्यायालय में पेश हुयी। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुखेन्द्र सिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे वकील प्रतिवादी की सहमति से स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकामान की ओर से अधिवक्त श्री बृजमोहन गौड़, श्री उमेश कुमार गौड़ ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उभय पक्षों की ओर से राजीनामा बाबत् एक संयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी की पहचान इनके अधिवक्ता श्री सुखेन्द्र सिंह चौहान द्वारा की गयी। प्रतिवादीगण की पहचान इनके अधिवक्ता श्री बृजमोहन गौड़ द्वारा की गयी। उभयपक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.01.2023 नियत की गयी।

राजीनामें के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उनवानी प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। यह कि आराजी खसरा 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(11)

लालसोट तहसील लालसोट में स्थित है, जिसमें मेरा कोई हक हिस्सा अधिकार वास्ता संबंध नहीं है। उक्त भूमि पटवारी द्वारा सहवन से 50/53 दर्ज हो गया था। उक्त वाद का अब हमारे बीच राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त वाद को खारिज/विड्रो कर दिया जावे एवं प्रतिवादी प्रभूलाल वगै॰ द्वारा प्रतिवादी पत्र आराजी खसरा नम्बर 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट का ड्रिक्री फरमा दिया जावे। उक्त भूमि पर मेरे द्वारा एचडीएफसी बैंक शाखा लालसोट द्वारा लोन लिया गया था उसको मैं वादिनी स्वयं जमा करवा दूँगी। इसमें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करूँगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ वादिनी द्वारा पेश किया गया वाद भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिया जावे एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पेश किया गया है उसको डिक्री फरमा दिया जावे।

पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजात् एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 के खसरा नम्बर 2121, खसरा नम्बर 2125, खसरा नम्बर 2131, खसरा नम्बर 2132, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2158, खसरा नम्बर 1553, खसरा नम्बर 1554 कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा प्रभूलाल शम्भूलाल जगदीश प्रसाद पिता सुवालाल व रामकूरी बेवा सुवालाल कौम माली सा॰ देह खातेदार दर्ज के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना साबित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खसरा नम्बर 2121, खसरा नम्बर 2125, खसरा नम्बर 2131, खसरा नम्बर 2132, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा प्रभूलाल शम्भूलाल जगदीश प्रसाद पिता सुवालाल व रामकूरी पत्नी स्व॰ सुवालाल हिस्सा (3/53) रामप्यारी देवी पत्नी नाथूलाल हिस्सा (50/53) कौम माली सा॰ देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना साबित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट जो कि तहसीलदार (भू॰अ॰) लालसोट (जिला दौसा) द्वारा प्रमाणित है, में अंकन है कि खसरा नम्बर 2121, 2125, 2131, 2132, 2157, 2158 किता 6 में सम्वत् 2068–71 के खातेदारों रामप्यारी पत्नी नाथूलाल माली का हिस्सा 50/53 का नाम व हिस्सा सहवन से अतिरिक्त नाम दर्ज हो गया है। इसलिए खसरा नम्बरों में से रामप्यारी पत्नी नाथूलाल माली का नाम हटाया जाना उचित है। उक्त दस्तावेजात् के अवलोकन से सम्वत् 2068–71 की जमाबन्दी में वादी का नाम एवं हिस्सा 50/53 सहवन से अंकित होना साबित होता है। प्रस्तुत राजीनामे में भी आराजी खसरा 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट की भूमि में पटवारी द्वारा सहवन से हिस्सा 50/53 दर्ज होना उभय पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रतिवादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को आराजी खसरा नम्बर 2121, खसरा नम्बर 2125, खसरा नम्बर 2131, खसरा नम्बर 2132, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। वादी का नाम उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी जमाबंदी से विलोपित किया जाता है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की उक्त खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (र)

(12)

न करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार लालसोट निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (रा